ACM आमेर मु० 2025

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 39/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	7/08/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। प्रतिवादी-8 की ओर से आपत्ति कुरेजात प्रा०पत्र पेश हुआ। वादी के आपति प्रा०पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/08/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	21/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। प्रस्तुत आपत्ति प्रा०पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण प्रा०पत्र खारिज किया जाता है तथा तरमील पार जालेज़ से प्राप्त कुरेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या ...../2025 उनवान जयराज बनाम कमला देवी व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 19/06/2025 की पालना में ग्राम बेगसलाई अराजी खसरा न. 327, 358 से 363 कुल किता-7 रकबा 9.37 है. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 25/6/25 की पालना में आज दिनांक 02/07/25 को बहमराह उपतहसीलदार मूण्डोता भू.अ.नि. वृत राघावाली(?) ग्रुप पटवारी ग्रुप बिचपड़ी के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कमला देवी पत्नि ओमप्रकाश हि. 1/24 ग्यारसी देवी पत्नि कालूराम हि. 1/24 गुलाब देवी पत्नि तेजपाल हि. 1/24 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर चन्द्रकला देवी पत्नि कैलाशचन्द्र हि. 30/3748 सुनिता देवी पत्नि सुरेश कुमार नरानिया हि. 100/937 सुमन देवी पत्नि गौरीशंकर हि. 75/937 सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 100/937 जाति खाती सा. प्लाट नं. 3 हरीदास नगर झोटवाड़ा जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल हि. 47773/442264 जाति बलाई नि. ग्राम सिरसी तह. आमेर बागाराम पुत्र मोहरराम हि. 8041/442264 जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर बजरंग सिंह पुत्र अनोपसिंह हि. 1/24 भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/24 मानसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 1/24 सुप्याकँवर पत्नि अनोपसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. दि. खातेदार साहिन बदस्तुर मुताबिक जमाबन्दी	327	1.18	बा-2	
		358	0.55	बा-2	
		359	6.05	बा-2	
		360	0.35	बा-2	
		361	0.27	गै.मु.जुल्ता	
		362	0.63	बा-2	
		363	0.34	बा-2	
		किता 07	9.37 है		

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी खा.	327/1	1.01	बा-2	
	कुल		1.01 हे.		
2.	बागाराम पुत्र मोहरराम जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर हाल मि- कैलाशपुरी झोटवाड़ा खा.	327/2	0.17		
			0.17 हे.		
3.	बजरंग सिंह पुत्र अनोप सिंह हि. 1/9 भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/9 मानसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 1/9 सुप्याकँवर पत्नि अनोपसिंह हि. 2/3 जाति राजपूत सा. [illegible] साहिन बदस्तूर (मुताबिक जमाबन्दी)	[illegible]	0.46		
		[illegible]	0.05		
		[illegible]	2.61		
		[illegible]	0.27		
	कुल		3.39 हे.		
4.	कमला देवी पत्नि ओमप्रकाश हि. 1/3 ग्यारसी देवी पत्नि कालूराम हि. 1/3 गुलाब देवी पत्नि तेजपाल हि. 1/3 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर खा.	[illegible]	0.04		
		359/4	1.08		
	कुल	02	1.12 हे.		
5.	सुनिता देवी पत्नि सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/2 सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/2 जाति खाती सा. प्लाट नं. 3 हरीदासनगर झोटवाड़ा जयपुर खातेदार	359/1	1.57		
		360	0.35		
	कुल	02	1.92 हे.		

तहसीलदार (भू. अ.)
जालसू

02/07/25
भू.अ.नि.
02/07/25
प. बिचपड़ी

Chandrakala
सुनीता
Suman
Suman Kumar
उप तहसीलदार
मूण्डोता तह.-जालसू

अ. ? (thumbprint)
अ. ? (thumbprint)
अ. ? (thumbprint)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

PDUASP पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा 2025

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि						कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
						6.	चन्द्रकला देवी पत्नि कैलाशचन्द हि. 1/2 सुमन देवी पत्नि गौरीशंकर हि. 1/2 जाति रैगर सा. प्लाट न. 3 हरिदास नगर जयपुर खातेदार	359/3 362 363/1	0.74 0.63 0.07		
							कुल	03	1.44		
						7.	कमलादेवी पत्नि ओमप्रकाश हि. 55/9600 प्यारी देवी पत्नि काळूराम हि. 551/9600 गुलाब देवी पत्नि तेजपाल हि. 551/9600 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर चन्द्रकला देवी पत्नि कैलाशचन्द हि. 13/128 सुनीता देवी पत्नि सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/8 सुमन देवी पत्नि गौरीशंकर हि. 3/32 सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/8 जाति रैगर सा. प्लाट नं. 3 हरीदासनगर खातेदार जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल हि. 21/320 जाति बलाई नि. ग्राम सिरसी बागाराम पुत्र मोटाराम हि. 3/320 जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर बजरंग सिंह पुत्र अनोपसिंह हि. 1/24 भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह हि. मानसिंह पुत्र मदन सिंह हि. सुप्यार कँवर पत्नि अनोपसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रोहिणा बहस्तूर मुताबिक जमाबन्दी।	358 2 361	[illegible]		
							कुल	3	[illegible]		

Chandrakala Suresh Kumar

नि. कमलादेवी अ. नि. प्यारी देवी अ. नि. गुलाब देवी सुनीता

Suman

Suman Kumar

[signature] भू.अ. R.I. KLP

[signature] 21/07/25 प. जयपुर

[signature] 21/7/25
तहसीलदार (भू. अ.)
जालसू

उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.- जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

नामल नक्शा ट्रेस
ग्राम - नागलवाडी
तह. जालसू
जिला अजमेर
राज.
पैमाना 1 सेमी = 50 मी

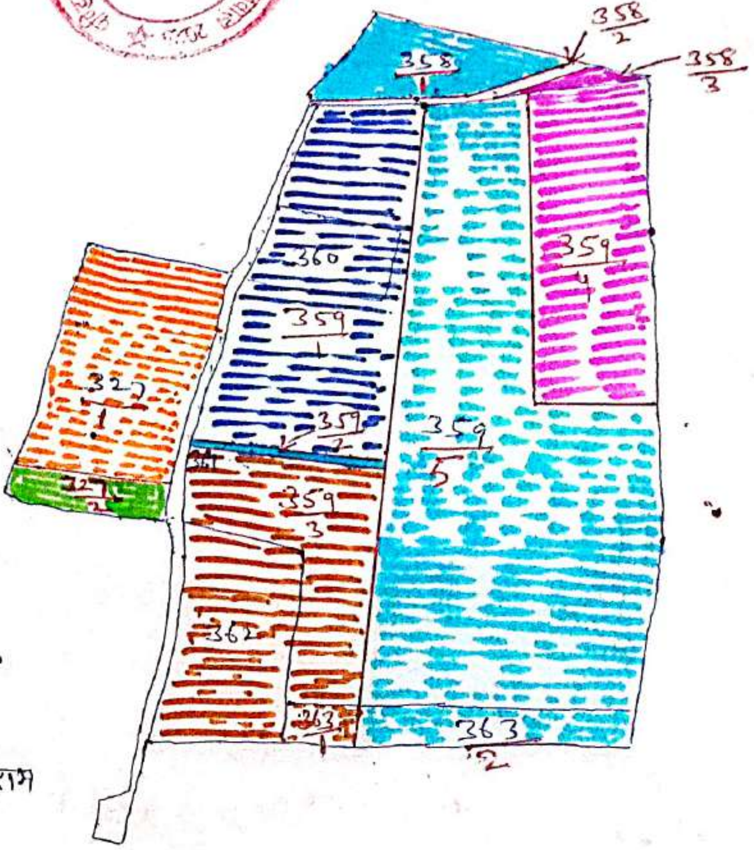

जयराज पुत्र बाबूलाल कुमार
आशाराम पुत्र मोहनराम
बजरंग सिंह पुत्र अनोपसिंह भवानसिंह
कमला देवी पत्नि ओमप्रकाश प्यारीदेवी पत्नि कालूराम
गुलाबदेवी पत्नि तेजपाल कुमावत
सुनीता देवी पत्नि सुरेश, मुकेश उमराव
चन्द्रकला देवी पत्नि कैलाशचन्द सुमनदेवी पत्नि गौरीशंकर
रेगर
शामलाती

02/07/25
प. / गि. चपड़ी

02/07/2025
I R RICP

02/7/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-जालसू

कु. नि. कमलादेवी
सुनीता
Suman
कु. नि. प्यारीदेवी
Sunny Kumar
कु. नि. गुलाबदेवी
Chandrakala

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

02/7/25
तहसीलदार (भू. अ.)
जालसू

**न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या – 39 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 20.03.2025

जयराज बुनकर पुत्र श्री बाबूलाल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. कमली देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
2. ग्यारसी देवी पत्नी कालूराम जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
3. गुलाब देवी पत्नी तेजाराम जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
4. चन्द्रकला देवी पत्नी कैलाश जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर जयपुर।
5. बजरंग सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
6. बागाराम पुत्र मोहराराम जाति नायक निवासी ग्राम रोहिणा तहसील जायल जिला नागौर हाल आबाद कैलाशपुरी झोटवाडा जयपुर।
7. भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. मानसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर, झोटवाडा जयपुर।
10. सुप्यार कंवर पत्नी अनोप सिंह (फौत)

10/1. भवानी सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।

11. सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर।
12. सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर। 14.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 21.08.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम नांगललाडी, पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 421 पुराना 394 के खसरा नम्बर 327 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 359 रकबा 6.0500

हैक्टेयर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 361 रकबा 0.2700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 362 रकबा 0.6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 363 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.3700 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 47773/442264 निहित है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त निरन्तर चलें आ रहें है और अपने–अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करतें आ रहें हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। एतपश्चात वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण खसरान् की भूमि को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है और वे विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने, विशेष भू–भाग को विकय–हस्तान्तरण इत्यादि करने की अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये और मौके पर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू–भाग की ओर ईशारा करते हुए भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। चूँकि दिनाँक 08–03–2025 को प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर आये तथा वादी को विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने एंव पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्धेश्य से मौके पर निर्माण सामग्री डालने लगे जिसका वादी ने विरोध किया तो वह कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने में सफल नहीं हुये तो उन्होंने वादी को एलानियाँ धमकी दी कि वह अन्य सह–हिस्सेदारान् को अपने प्रभाव एंव दवाब में लेकर रातो–रात विशेष भू–भाग पर पत्थर, ईट, बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डाल कर अधिक संख्या में कारीगर, मजदूर लगा कर पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करके रहेगें, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो, तथा मौके पर खडे पेड, वृक्ष को खुर्द–बुर्द व नष्ट करके निर्माण करेगें एंव भूमि का बैचान करेगें, इत्यादि एलानियां धमकी दी। प्रतिवादीगण की उक्त हरकत गैर कानूनी एंव विधि विरूद्ध है जो विधि ऐसा करने से निषेद्ध करती है। चूँकि विवादित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये विवादित भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर वादी का कब्जा सह–हिस्सेदारान की हैसियत से कानूनन चला आ रहा है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिकी किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न., जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 8 मानसिंह की और से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद संख्या। जिस तरह लिखा गया है सही है स्वीकार है। वादी का जमाबन्दी अनुसार हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 11 सुप्यार कंवर के फौत हो जाने के कारण उसके हिस्से में से भी वादी का हिस्सा निहित है। वाद पत्र का मद संख्या 2 जिस तरह लिखा गया है सही है स्वीकार है। वाद पत्र का मद संख्या 3 जिस तरह लिखा गया है सही है स्वीकार है। वाद पत्र का मद संख्या 4 जिस तरह लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। मिन प्रतिवादी ने कभी भी किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नहीं किया बल्कि मनबट के आधार पर काबिज चला आ रहा है। मिन प्रतिवादी ने कभी भी भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने की वादी को कोई धमकी नहीं दी। वाद पत्र का मद संख्या 5 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। वादी को दिनांक 8–3–2025 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ ना ही मौके पर ईट बजरी निर्माण सामग्री डाली, वादी ने गलत वाद कारण बनाते हुऐ उक्त वाद प्रस्तुत किया है। वाद पत्र का मद संख्या 6 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। किन्तु मिन प्रतिवादी भी विधिक विभाजन व पर्चा लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक करवाने को तत्पर एवं तैयार है। वाद पत्र का मद संख्या 7 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 8 जिस तरह लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 9 जिस तरह लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। दिनांक 8–3–2025 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र का मद नम्बर 10 गलत है अस्वीकार है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार से बखूबी साबित नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 11 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 12 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 13 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 14 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष की उप मद संख्या अ के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादी एवं मिन प्रतिवादी की पृथक खातेदारी, राजस्व लगान, एवं राजस्व नक्शा पृथक किये जाने मे मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है तथा उप मद संख्या ब, स, द, मे चाहा गया अनुतोष वादी मिन प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार नही है। अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र बाबत तकासमा स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि की पृथक खातेदारी, राजस्व लगान, एवं राजस्व नक्शा पृथक किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे तथा वादी का वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मिन प्रतिवादी के विरूद्ध मय हर्जे खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री सुनी गई तथा वादी का वाद मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम नांगललाडी, पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या नया 421 पुराना 394 के खसरा नम्बर 327 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 359 रकबा 6.0500

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर खसरा नम्बर 360 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 361 रकबा 0.2700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 362 रकबा 0.6300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 363 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.3700 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/2622 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 8 मानसिंह ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जाहिर किया की प्रतिवादी प्रतिवादी 8 की दादी का स्वर्गवास हो गया है किन्तु अभी तक माता के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण मिन प्रतिवादी व उसके भाईयो के हक में तस्दीक नहीं हुआ है तथा इसका हवाला कुर्रेजात रिपोर्ट में नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि प्रतिवादी कुर्रेजात किस प्रकार गलत है यह कही भी साबित नहीं किया है तथा प्रतिवादी 8 स्वयं वादपत्र में पक्षकार है जिन्होने उक्त आपति /स्वर्गवास की आपत्ति वादपत्र में नहीं की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पोषणीय नहीं है अतः आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 327/1 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. बागाराम पुत्र मोहरराम जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर हाल निवासी कैलाशपुरी, झोटवाडा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 327/2 रकबा 0.17 हैक्टयर भूमि रहेगी।
3. बजरंग सिंह पुत्र अनोपसिंह हि. 1/9, भंवरसिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/9, मानसिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/9, सुप्यार कंवर पत्नी अनोप सिंह हि. 2/3 जाति राजपूत, सा. देह खातेदार राहिन बदस्तुर मुताबिक जमाबंदी खसरा नंबर 358/1 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 359/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 359/5 रकबा 2.61 हैक्टेयर, 363/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/3, प्यारसी देवी [illegible] लालूराम हि. 1/3, गुलाब देवी पत्नी तेजपाल हि. 1/3 जाति कुमावत [illegible] ग्राम सिरसी तह. जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 358/3 रकबा 0.04 हैक्टेयर [illegible] रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/2, सरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/2, जाति रैगर सा. देह खातेदार प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 359/1 रकबा 1.57 हैक्टेयर, 360 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

6. चन्द्रकला देवी पत्नी कैलाशचंद हि. 1/2, सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर हि. 1/2 जाति रैगर सा. प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर जयपुर खातेदार के हिस्सें खसरा नंबर 359/3 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 362 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 363/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

7. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 551/9600, ग्यारसी देवी पत्नी कालूराम हि. 551/9600, गुलाब देवी पत्नी तेजपाल हि. 551/9600 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर, चंद्रकला देवी पत्नी कैलाशचंद्र हि. 13/128, सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/8, सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर हि. 3/32, सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/8 जाति रैगर सा. प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर झोटवाडा, जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल हि. 21/3200 जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी, बागाराम पुत्र मोहरराम हि. 3/3200 जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर, बजरंग सिंह पुत्र अनोप सिंह हि. 1/24, भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह हि. मानसिंह पुत्र मदन सिंह हिस्सा सुप्यार कंवर पत्नी अनोपसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन बदस्तुर मुताबिक जमाबंदी के हिस्से खसरा नंबर 358/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 361 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल क़िता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू ... जारी हो। पत्रावली फैसल ... होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
... म0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 39/2025
मउनवानी – जयराज बनाम कमली देवी वगैरा
निर्णय दिनांक :– 21.08.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 39/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक – 20.03.2025

जयराज बुनकर पुत्र श्री बाबूलाल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी तहसील जालसू जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. कमली देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
2. ग्यारसी देवी पत्नी कालूराम जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
3. गुलाब देवी पत्नी तेजाराम जाति कुमावत निवासी कुमावतो का मौहल्ला ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
4. चन्द्रकला देवी पत्नी कैलाश जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर जयपुर।
5. बजरंग सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
6. बागाराम पुत्र मोहराराम जाति नायक निवासी ग्राम रोहिणा तहसील जायल जिला नागौर हाल आबाद कैलाशपुरी झोटवाडा जयपुर।
7. भंवर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. मानसिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर, झोटवाडा जयपुर।

11. सुप्यार कंवर पत्नी अनोप सिंह (फौत)

10/1. भवानी सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नांगल लाडी तहसील जालसू जिला जयपुर।

11. सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर।

12. सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल जाति रैगर निवासी प्लाट नम्बर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।

14. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 327/1 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. बागाराम पुत्र मोहरराम जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर हाल निवासी कैलाशपुरी, झोटवाडा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 327/2 रकबा 0.17 हैक्टयर भूमि रहेगी।

3. बजरंग सिंह पुत्र अनोपसिंह हि. 1/9, भंवरसिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/9, मानसिंह पुत्र मदन सिंह हि. 1/9, सुप्यार कंवर पत्नी अनोप सिंह हि. 2/3 जाति राजपूत, सा. देह खातेदार राहिन बदस्तुर मुताबिक जमाबंदी खसरा नंबर 358/1 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 359/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 359/5 रकबा 2.61 हैक्टेयर, 363/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/3, ग्यारसी देवी पत्नी कालूराम हि. 1/3, गुलाब देवी पत्नी तेजपाल हि. 1/3 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 358/3 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 359/4 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/2, सरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/2, जाति रैगर सा. देह खातेदार प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर झोटवाडा जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 359/1 रकबा 1.57 हैक्टेयर, 360 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. चन्द्रकला देवी पत्नी कैलाशचंद हि. 1/2, सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर हि. 1/2 जाति रैगर सा. प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर जयपुर खातेदार के हिस्सें खसरा नंबर 359/3 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 362 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 363/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

7. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश हि. 551/9600, ग्यारसी देवी पत्नी कालूराम हि. 551/9600, गुलाब देवी पत्नी तेजपाल हि. 551/9600 जाति कुमावत सा. कुमावतों का मोहल्ला ग्राम सिरसी तह. जयपुर, चंद्रकला देवी पत्नी कैलाशचंद्र हि. 13/128, सुनिता देवी पत्नी सुरेश कुमार नरानिया हि. 1/8, सुमन देवी पत्नी गौरीशंकर हि. 3/32, सुरेश कुमार नरानिया पुत्र रामगोपाल हि. 1/8 जाति रैगर सा. प्लॉट नंबर 3 हरिदास नगर झोटवाडा, जयराज बुनकर पुत्र बाबूलाल हि. 21/3200 जाति बलाई निवासी ग्राम सिरसी , बागाराम पुत्र मोहरराम हि. 3/3200 जाति नायक सा. ग्राम रोहिणा तह. जायल जिला नागौर, बजरंग सिंह पुत्र अनोप सिंह हि. 1[illegible]र सिंह पुत्र मदन सिंह हि. मानसिंह पुत्र मदन सिंह हिस्सा सुप्यार कंवर पत्नी [illegible]पसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन बदस्तुर मुताबिक [illegible] खसरा नंबर 358/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 361 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल कि[illegible] 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही

करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसरख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 21.08.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:08 IST
Reason: SelfAttested